दूरभाष : 0135 - 2714572
टैलीफैक्स : 0135 - 2714566
ई-मेल : usugars@rediffmail.com
टेन न0 : MRTU00770A

उत्तराखण्ड सहकारी चीनी मिल्स संघ लि० (उत्तराखण्ड शुगर्स)
53-बी, सुभाष रोड, देहरादून (उत्तराखण्ड)

AM अधिशासी निदेशक

पत्रांक 1486 दिनांक 16-01-13.

कार्यालय ज्ञाप/संशोधन

इस कार्यालय के पत्र सं0 1114 दिनांक 15.11.2011 द्वारा निर्गत सेवाकाल में मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को सेवायोजित किये जाने से सम्बन्धित निर्देशों के प्रस्तर-03 व प्रस्तर-07 में वर्तमान में स्थापित आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नलिखित विवरणानुसार संशोधित आदेश निर्गत किये जाते हैं जो तत्काल प्रभाव से प्रभावी होंगे-

प्रस्तर संख्या	वर्तमान आदेश	संशोधित आदेश
3	चीनी मिल के जिस मृतक कार्मिकों के परिवार जिसका गुजारा नही हो पा रहा है उनके एक सदस्य को नियुक्ति प्रदान नही की जा सक रही है क्योंकि परिवार का सदस्य व्यस्क नही है, पद के लिए अर्हता नही रखता है अथवा उपयुक्त नही है। उस परिवार को मृतक चीनी मिल कार्मिक के परिवार को उसके अन्तिम वेतन के अनुरूप एक वर्ष का वेतन राशि भुगतान की जायेगी।	चीनी मिल के जिस मृतक कार्मिकों के आश्रित परिवार के सदस्यों का गुजारा नही हो पा रहा है तथा परिवार का सदस्य व्यस्क न होने, पद के लिए अर्हता न रखने अथवा उपयुक्त होने के कारण मृतक कार्मिक के किसी आश्रित सदस्य को नियुक्ति प्रदान नही की जा सक रही है तो ऐसी दशा में उस परिवार को मृतक चीनी मिल कार्मिक के मृत्यु की तिथि को प्राप्त अन्तिम मूल वेतन के बराबर 12 माह की धनराशि भुगतान की जायेगी। मृतक कार्मिक के आश्रित/परिवार का गुजारा नही हो पा रहा है इसको देखने के लिए अन्य स्त्रोतों से आय तथा मृतक कार्मिकों के परिवार को मिलने वाले देयकों का संज्ञान लिया जायेगा। यह सुविधा वेजबोर्ड के अधीन कार्यरत कार्मिकों के साथ केन्द्रीयत सेवा के उन अधिकारियों/कर्मचारियों को भी अनुमन्य होगी जिनका सेवारत मृत्यु की तिथि को कुल वेतन ₹ 30000.00 प्रतिमाह की सीमा तक था।
7	यदि मृतक के परिवार के किसी सदस्य को केन्द्र सरकार या राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी संस्थान, निजी संस्थान या चीनी मिल में पहले से सेवायोजन प्राप्त है, तब मृतक आश्रित को केवल एक मुश्त भुगतान की राशि प्रदान की जायेगी।	यदि मृतक के परिवार के किसी सदस्य को केन्द्र सरकार या राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी संस्थान, निजी संस्थान या चीनी मिल में पहले से सेवायोजन प्राप्त है, तब मृतक कार्मिक के परिवार के किसी सदस्य को मृतक आश्रित के रूप में नियुक्ति प्रदान नही की जायेगी।

उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 15.11.2011 द्वारा निर्गत आदेश इस सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे तथा उक्त पत्र द्वारा निर्गत अन्य आदेश यथावत् प्रभावी रहेंगे।

1486 16-01-13.

सुरेन्द्र सिंह रावत
प्रशासक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- समस्त अधिशासी निदेशक/प्रधान प्रबन्धक, सार्वजनिक/सहकारी चीनी मिल, उत्तराखण्ड।
2- गार्ड फाईल।

15.1.2013
(विनोद शर्मा)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी।